adopted to deal with the situation includes, inter-alia, the continued declaration of certain areas as "disturbad areas", notification of the National Socialist Council of Nagaland a "unlawful association", deployment of the Army and Central Para Military Forces, financial assistance to the State Government for security related matters and modernisation of State Police Force, better sharing of information and improved coordination of counter-insurgency operations. In addition, the State Government has been advised to improve utilisation of development funds and take effective measures to check leakage of Government funds and extortions by the insurgent groups.

Bodyguard spray systems for sett defence

1368. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that for self defence of house wives, college girls, civilians, and security personnel, USA and other countries have developed and marketed such bodyguard spray systems as Capstun Weapon System and bodyguard Pepper Defence Spray based *on* Chemical agents like Oleoresin Capsicum, Pepper, etc-;

(b) if so, whether in India these are being treated as fire arms or some other system materials;

(c) what is the policy of Government for import and marketing of such products in India, in view of the increasing atrocities on women and attacks by criminals on civilians and others;

(d) what are the guidelines, if any, for the import andlor marketing of such products in India, and the procedure for obtaining permissions: and

(e) the number of applications received for the import and|or marketing of such defence spray systems| equipments|products, during the last three years and the clearances given so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) The Government has no definite information regarding development|marketing of bodyguard spray system (Commonly knows as capstun weapon system) in USA and other countries for self defence.

(b) As per expert opinion, Capstun is a derivative of natural food ingredient called oleoresin capsicum (Natural oil of pepper). It is non-toxic and non-noxious. It cannot be classified as chemical warfare agent and at best it is an inflamatory and incapacitating agent. The system is not classified as flre-arm.

(c) to (e) As the free availability of capstun weapon system in the market mav not be in overall security interest. Ministry of Commerce have been advised to place this item in the ^Negative List' of Imports. So far, one firm in private sector has once been permitted to import and market capstun weapon system. The *'marketing of* the system is subject to compliance of the prescribed conditions .

अपराध के मामलों में पुलिस कर्मियों की भागीदारी

1369. श्री अनंत राम जायसवाल:
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, 1994 के दौरान दिल्ली में अपहरण, फिरौती, हत्या लूट, बलात्कार और हिंसात्मक में

मौत की कितनी घटनाएं हुई और वर्ष 1993 की इसी अवधि के दौरान हुई ऐसी घटनाओं की तुलना में इन घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान अपराध के अनेक मामलों में पुलिस कर्मी सीधे लिप्त पाए गए; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे जघन्य अपराधों की रोकथाम करने और इन अपराधों में पुलिस कर्मियों की सीधी भागीदारी को रोकने के लिए तथा जनता का पुलिस में विश्वास बहाल करने के लिए यदि कोई प्रभावी और संघर्षजनक कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री यी०एम० सईद) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) दिल्ली में अपराधों को रोकथाम के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं । इनमें शामिल हैं--गश्त में बढ़ोतरी, महत्वपूर्ण स्थलों पर पिकेट तैनात करना, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के ठिकानों पर बार-बार छापे मारना, निगरानी में बढ़ोतरी करना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आधुनिक हथियारों के संचालन में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, अन्वेषण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग शुरू करना, संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण आदि ।

अपराधों में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता को रोकने की दृष्टि से और जनता का विश्वास कायम रखने की दृष्टि से दिल्ली पुलिस, उन सभी मामलों में जिनमें पुलिस कर्मी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित निर्देशनात्मक निवारक कार्रवाई करती रही है । इसके अलावा यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को, प्रारंभिक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या कोर्स दोनों को ही संशोधित कर रही है ताकि पुलिस कर्मियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके, साथ ही समर्थ सभाओं के जरिए बल के सदस्यों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग भी की जा रही है । वरिष्ठ अधिकारियों तथा जनता की पहुंच बढ़ रही है और सरकारी सतर्कता शाखा द्वारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा पुलिस कर्मियों खास तौर से संदिग्ध निष्ठा वाले पुलिस कर्मियों के आचरण पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है ।

विवरण

अपराध शीर्ष	सूचित मामलों की संख्या		बढ़ौतरी/कमी की दर	सूचित मामलों की संख्या		बढ़ौतरी/कमी की दर
	नवम्बर 1993 में	नवम्बर 1994 में		दिसम्बर 1993 में	दिसम्बर 1994 में	
1	2		3	4		5
1. अपहरण/व्यपहरण के कुल मामले	52	88	69.23% (बढ़ौतरी)	52	85	63.46% (बढ़ौतरी)
2. फिरौती के लिए अपहरण/व्यपहरण	4	5	25% (वृद्धि)	1	3	200% (वृद्धि)

1	2		3	4		5
3. हत्या	38	37	2.63% (कमी)	35	39	11.34% (वृद्धि)
4. लूटपाट/छीना झपटी/डकैती	38	54	42.10% (वृद्धि)	55	45	18.18% (कमी)
5. बलात्कार	16	21	31.25% (वृद्धि)	18	21	16.67% (वृद्धि)
6. हिरासत में मौत	2	—	—	—	—	—

कच्चे तेल एवं परिष्कृत तेल की कीमतें

1370. **श्री संजय डालमिया :**
श्री मलचन्द मोणा :
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति लिटर कच्चे तेल तथा परिष्कृत तेल की लागत क्या है ;

(ख) कच्चे तेल का प्रति लिटर बिक्री मूल्य क्या है ;

(ग) क्या देश में तेल का बिक्री मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कप्तान सतीश शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान में उपकर, रायल्टी तथा बिक्री कर सम्मिलित करते हुए रफाइनरियों द्वारा देय स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य अनंतिम रूप से 3296 रुपए प्रति मी० टन पर नियत किया जाता है । कच्चे तेल से उत्पादित प्रमुख उत्पाद तथा उनके भंडारण उच्चतम विक्रय मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं । **(नीचे देखिये)**

(ग) और (घ) जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों का संबंध है, इन्हें इस प्रकार से संरचित किया जाता है ताकि अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके, अन्तर ईंधन प्रतिस्थापन को प्रोन्नत किया जा सके तथा सामाजिक आर्थिक कारणों से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक ईंधनों में सब्सिडी दी जा सके । मिट्टी तेल तथा डीजल इत्यादि जन उपभोग की मदों के मूल्य कम (सब्सिडी प्रदत्त) रखे जाते हैं तथा विमानन ईंधन, मोटर स्पिरिट इत्यादि जैसे उत्पादों का मूल्य निर्धारण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनके अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके । सलिए, पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्य अन्य देशों में प्रचलित मूल्यों से तुलनीय नहीं है ।